न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—71/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/71)

1. जगदीशनाथ पुत्र मंगालानाथ उम्र करीबन 46 वर्ष
2. जीवणनाथ पुत्र मंगालानाथ उम्र करीबन 42 वर्ष

सर्व जाति नाथ सर्व निवासी ग्राम जोगीयो का नाड़ा (किशनगढ ए) तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोपीलाल जाति दसेमा निवासी 357, पाटनी भवन के पीछे, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर।
3. रशीदा पत्नी नौशाद खान जाति देशवाली निवासी देशवाली मौहल्ला, अराई रोड़ पुराना शहर, किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2021 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ राजस्व वाद संख्या 196/2019

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री शहाबुद्दीन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—02.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 196/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 की पैतृक कब्जे काश्त की कृषि आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 2647 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम ग्राम किशनगढ ए पटवार क्षेत्र किशनगढ जिला अजमेर में स्थित है जो उक्त भूमि वादी के पूर्वाधिकारी/पिता गोपीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

के पिता की मृत्यु दिनांक 6.3.1997 को हो चुकी है एवं अधिकार अभिलेख में वादी/रेस्पोडेंटस के पिता गोपीलाल पुत्र गोविन्द कंवर कौम चेला दर्ज है जो राहवन से कौम दरोगा के स्थान पर कौम चेला दर्ज हो गया है जिसमें इंद्राज दुरूस्ती कर अधिकार अभिलेख में कौम चेला के स्थान पर कौम दरोगा की घोषणात्मक आज्ञाप्ति प्रदान कराने का वादी कानूनन अधिकारी है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार का जवाब प्राप्त कर बिना तनकियात कायम कर बिना साक्ष्य लिए बिना तथ्यों की जांच किए, बिना मौके की वास्तविक स्थिति अर्थात मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना, एवं वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह, करके आदेश दिनांक 22.02.2021 प्राप्त किया है जबकि उपरोक्त आराजी चेला जो नाथ सम्प्रदाय से संबंध रखती है एवं उपरोक्त आराजी पर अपीलार्थीगण का अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है उपरोक्त आदेश दिनांक 22.2.2021 की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 15.2.2022 को जब हुई कि कुछ भू–माफियों गिरोह के लोग मौके पर आकर अपीलार्थीगण के जबरन बेदखली करने पर आमादा हो गए एवं उक्त आराजी हमारे नाम है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 196/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके तथ्यों को छिपाते हुए गलत तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 प्राप्त किया है, जो बिना मौके की वास्तविक जांच किए बिना तथ्यों व रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किए, बिना वाद में तनकियात व साक्ष्य लिए बिना प्राप्त किया है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वर्किंग जमाबंदी में सेटलमेंट जमाबंदी में कूल खातेदार भूरजी वल्द नाथू कौम चेला दर्ज है एवं उसके पश्चात गोविन्द कंवर बेवा भूरजी कौम चेला के वाद गोपीलाल माता गोविंद कंवर कौम चेला चली आ रही है परंतु वादी/रेस्पोडेटस संख्या 1 की जाति दरोगा है जो चेला व दरोगा जाति में किसी प्रकार की समानता, संबंध नहीं है फिर भी मौके पर वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 1 का कब्जा काश्त भी है या नहीं जिसकी किसी भी प्रकार से कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। जबकि उक्त आराजी पर अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं चेला सम्प्रदाय, नाथ सम्प्रदाय से ही संबंध रखता है। उपरोक्त आराजीयात की कृषक पास बुक जो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है वह अपीलार्थीगण के पास मौजूद है एवं उक्त आराजी पर चेला सम्प्रदाय अर्थात नाथ सम्प्रदाय के भूरजी वल्द नाथू की खातेदारी आराजी है जो अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त वाद में जो तहसीलदार अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जो उक्त आराजी बाबत कथन किए गए है उक्त आराजी में शुरू से ही कौम चेला ही चला आ रहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। वादी/रेस्पोडेंट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाति प्रमाण पत्र जिसमें जाति दरोगा अंकित है, सरपंच ग्राम पंचायत सावरदा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा जारी दिनांक 19.08.2015 का पहचान पत्र जिसमें वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 की जाति दरोगा अंकित है एवं तहसीलदार किशनगढ के पत्रांक /भू0अ0/19/1604 दिनांक 25.3.2019 के पत्र की छाया प्रति पटवारी हल्का सावरदा की दिनांक 31.12.2018 की सजरा जांच रिपोर्ट एवं वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के शपथ पत्र दिनांक 24.10.2018 की छायाप्रतियां संलग्न है जिसमें शपथ पत्र में जालसाजी व झुठा प्रस्तुत किया गया है उक्त शपथ पत्र में गोविंद कंवर को कामडराम का पुत्र बताया जा रहा है एवं गोपीलाल को भी कामड़राम का पुत्र बताया जा रहा है एवं एक तरफ गोविंद कंवर को गोपीलाल की माता बताया जा रहा है एवं जमाबंदी अनुसार गोविंद कंवर बेवा भूरजी है जो भूरजी चेला मूल खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय सम्पूर्ण तथ्य प्रकटीकरण होने के पश्चात भी अपनी सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 196/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादी/रेस्पोडेंट की पैतृक कब्जे काश्त की कृषि आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 2647 रकबा 3–16–00 किस्म बारानी प्रथम ग्राम किशनगढ पटवार क्षेत्र किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी /पिता गोपीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी/रेस्पोडेंट के पिता की मृत्यु दिनांक 6.3.1997 को हो चुकी है एवं अधिकार अभिलेख में वादी/रेस्पोडेंट के पिता गोपीलाल माता गोविंद कंवर कौम चेला दर्ज है जो सहवन से कौम दरोगा के स्थान पर कौम चेला दर्ज हो गई है। जिसमें इंद्राज दुरूस्ती कर अधिकार अभिलेख में कौम चेला के स्थान पर कौम दरोगा की घोषणात्मक आज्ञाप्ति प्रदान कराने का वादी/रेस्पोडेंट कानूनी अधिकारी है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज की जानकारी वादी/रेस्पोडेंट को दिनांक 19.7.2019 को तहसीलदार के पत्रांक/भू0अ0/2019/3680 पत्र प्राप्त होने के पश्चात वादी/रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई। वादी/रेस्पोडेंट कारण दिनांक 12.12.2018 को उपरोक्त वर्णित आराजी में विरासत नामांतकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार के पत्र पत्रांक/भू0अ0/2019/3680 मिला जिसमें तहसीलदार द्वारा जाति की शुद्धि हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने व बाद शुद्धि के नामांतकरण की कार्यवाही करने हेतु हिदायत दी तब वादी/रेस्पोडेंट द्वारा जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर त्रुटिपूर्ण इंद्राज का ज्ञान हुआ तब से वादी/रेस्पोडेंट कारण निरंतर जारी है। अतः वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रतिवादी की पैतृक कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 2647 किस्म बारानी प्रथम ग्राम किशनगढ पटवार क्षेत्र किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर में त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त कर कौम चेला के स्थान पर कौम दरोगा की घोषणात्मक आज्ञाप्ति के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर राज.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सरकार को नोटिस जारी किये गये। अभिभाषक वादी व पैरोकार सरकार को विधि सम्मत सुनवाने के पश्चात् प्रस्तुत दस्तावेजात का हवाला देते हुए, वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, किशनगढ़ को खातेदार स्व.गोपीलाल माता गोविन्द कंवर कौम "चैला" सा.देह क स्थान पर कौम दरोगा अंकित करने के आदेश दिये है एवं प्रार्थी के पिता स्वर्गीय गोपीलाल की विरासत बाबत् जॉच कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत् जॉच कर स्वर्गीय गोपीलाल के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है। विवादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि रही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज रही है। तथा पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता गोपीलाल की खातेदारी में दर्ज रही है। अपीलांट खसरा नम्बर 2647 रकबा 0.6151 का खातेदार नही है, अजनबी व्यक्ति है। अपीलांट केवल झूठे दावे, अपीलें कर दबाव बनाकर अनुचित रूप से रूपयों की मांग करने के उद्देश्य से अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष झूठे कथनो, कानून, तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अपीलांट का भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करें, दावा सिद्ध कराये जो अपीलांट के पास कई विकल्प उपलब्ध है के उपरान्त अनावश्यक रूप से निराधर रूप से बिना हितबद्ध पक्षकार के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात हमने पाया कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 26/47 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम ग्राम किशनगढ ए पटवर क्षेत्र जिला अजमेर अवस्थित है उक्त आराजीयात संबंधी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2010 से 2018 में भूरजी वल्द भैरूबक्ष कौम चेला के रूप में दर्ज है तथा उक्त आराजीयात एकीकरण की जमाबंदी सम्वत 2019 में गोविंद कंवर बेवा भूरजी कौम चैला के रूप में दर्ज है तथा उक्त आराजीयात राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिब वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2042 से 2043 सम्वत 2044–47,51,सम्वत 2052–55, सम्वत 2056–59 सम्वत 2060 –63, तथा विवादित आराजीयात बाबत राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिब खसरा गिरदावरी में भी गोपीलाल माता गोविंद कंवर कौम चेला के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा इसी प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत मुर्तिब पास बुक में भी गोपीलाल माता गोविंद कंवर चेला के रूप में स्पष्ट रूप से अंकन है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात बाबत नामांतकरण हेतु संबंधित तहसीलदार के द्वारा जारी पत्र संख्या 1604/2019 दिनांक 25.3.2019 में भी विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड में भी गोपीलाल माता गोविंद कंवर कौम चेला का स्पष्ट रूप से अंकन है उक्त समस्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात नाथ सम्प्रदाय से संबंधित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 22.2.2021 अपने पक्ष में करवा लिया जो कि न्यायाचित प्रतीत नहीं होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश

दिनांक 22.02.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांटस को वाद में प्रतिवादीगण पक्षकार के रूप में संयोजित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर